दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:18 जनवरी 2024

मध्य.या. 980/2023

मेसर्स एक्सल्टा कोएटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड .....याचीगण

द्वारा: अधिवक्तागण, श्री पीयूष शर्मा, श्री अरमान वर्मा और श्री आयुष्मान सिंह।

बनाम

मेसर्स मधुबन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री आदर्श रामानुजन, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायाधीश अनूप जयराम भंभानी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनूप जयराम भंभानी.</u>

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ("ए व सी अधिनियम") की धारा 11 (5) के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता/मेसर्स एक्सल्टा कोटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उन विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति चाहता है जो प्रत्यर्थी/मेसर्स मधुबन मोटर्स प्राइवेट

लिमिटेड के साथ दिनांकित 10.08.2016 ("आपूर्ति समझौता") के आपूर्ति समझौते से उत्पन्न हुए हैं।

2. इस याचिका पर नोटिस 21.09.2023 को जारी किया गया था; हालाँकि, इसका कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

3. हालाँकि पक्षों के अधिवक्तागण ने अपनी-अपनी लिखित दलीलें दायर की हैं।

4. रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पहले अधिवक्ता का नोटिस दिनांक 02.06.2022 को प्रत्यर्थी पर आपूर्ति समझौते से उत्पन्न मांग को उठाते हुए जारी किया; जिसकी मांग को प्रत्यर्थी ने दिनांक 20.06.2022 के उत्तर में खारिज कर दिया था।

5. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 27.07.2022 दिनांकित नोटिस के माध्यम से मध्यस्थता को लागू किया; जिस पर प्रत्यर्थी ने 22.08.2022 दिनांक को जवाब भेजा।

<u>याचिकाकर्ता की प्रविष्टियाँ</u>

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष शर्मा ने इस न्यायालय का ध्यान आपूर्ति समझौते के धारा 12 की ओर आकर्षित किया है, जो पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता को सम्मिल्लित करता है; और ए एंड सी अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता के लिए नई दिल्ली में मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थान" के साथ उनके बीच विवादों के संदर्भ पर विचार करता है।

7. संदर्भ की सुविधा के लिए, आपूर्ति समझौते का खंड 12 नीचे दिया गया हैः

"12. शासित कानून, क्षेत्राधिकार और विवाद समाधान

12.1 यह समझौता, इसका प्रदर्शन और इससे उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या दावा सभी मामलों में भारत के कानूनों के अनुसार शासित और अनुमानित किया जाएगा।

12.2 इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी विवाद या दावे नई दिल्ली, भारतीय न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, जिसमें पक्ष अपरिवर्तित रूप प्रस्तुत करते हैं।

12.3 इस समझौते के निर्माण, अर्थ और संचालन या प्रभाव या उसके उल्लंघन से संबंधित अथवा संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। तथापि, पक्षकार यदि तीस दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी बातचीत शुरू होने की तारीख से पक्षकारों द्वारा सहमत किसी भी लंबी अवधि के भीतर उनका सौहार्दपूर्ण समाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसका समाधान मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। विवाद को किसी भी पक्ष द्वारा लिखित रूप में तीस दिनों का नोटिस जारी करने के बाद मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है, जिसमें विवाद/मतभेदों की प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस तरह की मध्यस्थता को केवल और केवल मध्यस्थ द्वारा आयोजित की जाएगी जिसे आपसी सहमति से पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगी और मध्यस्थता कार्यवाही के लिए स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

(जोर दिया गया)

8. यह प्रस्तुत किया गया है कि, जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से देखा गया है, अलग क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रावधान भी उसी खंड में निहित है, जो पक्षों के बीच विवादों को नई दिल्ली में वैधानिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन भी करता है।

9. इस दलील को मजबूत करने के लिए कि पक्षकार वास्तव में, मध्यस्थता के लिए मंच के रूप में नई दिल्ली के विशेष अधिकार क्षेत्र पर सहमत हुए हैं, श्री शर्मा ने इस न्यायालय का ध्यान प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिनांक 22.08.2022 के उत्तर की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें उन्होंने स्वयं वर्तमान मामले में नई दिल्ली स्थित अधिवक्ता को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की मांग की है।

<u>याचिकाकर्ता की प्रविष्टियाँ</u>

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श रामानुजन द्वारा उठाई गई आवश्यक आपत्ति यह है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है।

11. इस संबंध में, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपूर्ति समझौते के खंड 12.3 के संदर्भ में, पक्षों ने मध्यस्थता के लिए केवल एक "स्थान" नामित किया है और समझौता मध्यस्थता के "स्थान" पर पूरी तरह से चुप है। तदनुसार यह तर्क दिया जाता है कि भले ही खंड के अनुसार, इस अदालत के पास मध्यस्थता के "स्थान" पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो सकता है,

जो इस अदालत को ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं देता है।

12. इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि समझौते में मध्यस्थता का कोई "स्थान" निर्दिष्ट किए जाने की अनुपस्थिति में, ए एंड सी अधिनियम के धारा 11 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत वह अदालत होगी जहां वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी इंगित करता है कि आपूर्ति समझौते पर दिल्ली में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे; न ही प्रत्यर्थी दिल्ली में रहता है; और इसलिए वाद हेतुक का कोई हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न नहीं हुआ है। यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त सभी घटनाएं मुंबई में हुईं हैं और इसलिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 (1) (ङ) के अनुसार, मध्यस्थता की नामित "स्थान" की अनुपस्थिति में, वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत मुंबई में संबंधित अदालत होगी।

13. यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि मध्यस्थता का स्थान खंडों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए आपूर्ति समझौते के खंड 12.2 में निहित अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रावधान भी याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है और मध्यस्थता का स्थान और वर्तमान मामले की सुनवाई के लिए सक्षम अदालत, ए एंड सी अधिनियम की धारा 20 (2) के आधार पर निर्धारित की जानी है।

14. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थियों द्वारा दिनांक 22.08.2022 को दिए गए नोटिस के उत्तर को इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी द्वारा नई दिल्ली स्थित अधिवक्ता का नामांकन केवल इस तथ्य के कारण था कि मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में होने पर सहमति हुई थी।

15. अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, अधिवक्ता ने प्रमुखतया तीन सिद्धांतों पर निर्भरता रखी है ***रवि रंजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य कुमार चटर्जी ; एसेंशियल इंटीरियर्स डिज़ाइन्स प्राइवेट प्राइवेट बनाम ग्लोब इंटरनेशनल इंक.***[2] और ***आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड*** [3]। हालाँकि अधिवक्ता ने समन्वय पीठों के कई अन्य निर्णयों का भी संदर्भ दिया है, लेकिन वर्तमान याचिका के प्रयोजनों के लिए उन निर्णयों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

<u>प्रत्युत्तर की प्रस्तुतियां</u>

16. प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री शर्मा ने तर्क दिया है कि खंड 12.3 में निर्दिष्ट मध्यस्थता के "स्थान" के अलावा, खंड 12.2 में आपूर्ति समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या दावों को नई दिल्ली में न्यायालयों के "अनन्य अधिकार क्षेत्र" के

अधीन भी किया गया है, जिसमें आगे कहा गया है कि पक्ष अपरिवर्तनीय रूप से ऐसे अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत हों। दूसरी ओर, हालांकि, मध्यस्थता के “स्थान" के संबंध में आपूर्ति समझौते में कोई विपरीत प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपूर्ति समझौते के पक्षकारों का इरादा स्पष्ट है, अर्थात् धारा 2 (1) (ई) के प्रयोजनों के लिए तटस्थ “स्थान” के साथ-साथ पर्यवेक्षी न्यायालय नई दिल्ली में होनी थी, भले ही अनुबंध मुंबई में हस्ताक्षरित और निष्पादित किया गया हो।

17. अधिवक्ता का कहना है कि जहां पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता एक विशिष्ट 'स्थान' निर्धारित करता है, जिससे मध्यस्थता कार्यवाही को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता है, निर्दिष्ट 'स्थान' मध्यस्थता की “स्थान” भी है।

18. उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए, अधिवक्ता ने इन मामलों के निर्णय पर भरोसा किया है- ***रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ; सिक्का मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और मेसर्स हमरद लैबोरेटरीज (इंडिया) बनाम मैसर्स स्टर्लिंग इलेक्ट्रो एंटरप्राइजेज।***[6]

19. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बताया गया है कि आपूर्ति समझौते के खंड 12 के रूप में *समान मध्यस्थता समझौते* से निपटने के दौरान,

एक ही याचिकाकर्ता (लेकिन अलग प्रत्यर्थी) से संबंधित कार्यवाही में ***एक्सल्टा कोटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ऑस्टिन हुंडई ऑस्टिन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट*** में इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने यह भी माना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास उस मामले में धारा 11 याचिका पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।

<u>विचार- विमर्श एवं निर्णय</u>

20. प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए तर्क का सार यह है कि यदि मध्यस्थता समझौता मध्यस्थ कार्यवाही के लिए एक “कार्यक्रम स्थल" निर्दिष्ट करता है, लेकिन "स्थान" नहीं, तो निर्दिष्ट "कार्यक्रम स्थल" को "स्थान” के रूप में भी नहीं माना जा सकता है; और ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी द्वारा जिस मुख्य निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह रवि रंजन डेवलपर्स (पूर्वोक्त) है, जो यह मानता है कि: प्रत्यर्थी द्वारा जिस मुख्य निर्णय पर भरोसा किया गया है वह रवि रंजन डेवलपर्स (पूर्वोक्त) है, जिसमें कहा गया हैः

> 20.1 मध्यस्थता खंड में "जगह" का उल्लेख *वास्तव* में उस स्थान को मध्यस्थता का "स्थल" नहीं बनाता है।
>
> 20.2. हालांकि पक्ष विवादों को किसी एक अदालत में संदर्भित कर सकती हैं, जिसके पास अन्यथा दूसरों के बहिष्कार के लिए अपने विवादों का फैसला करने का क्षेत्राधिकार हो सकता है, संदर्भ न्यायालय ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 (6) और

20 (1) के अनुसार होना चाहिए। वास्तव में इसलिए, पक्ष अदालत को अधिकार क्षेत्र के साथ निहित नहीं कर सकते हैं, यदि शुरुआत में इसमें अधिकार क्षेत्र का अभाव है ।

20.3. किसी निर्णय में उपयोग किए गए शब्दों और वाक्यांशों की व्याख्या किसी कानून में शब्दों और वाक्यांशों के रूप में नहीं की जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ पहले के निर्णयों के साथ-साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में भी लगाया जाना चाहिए।

21. रवि रंजन डेवलपर्स (पूर्वोक्त) में व्यक्त विचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पहले ***बीजीएस एसजीएस सोमा बनाम एनएचपीसी लिमिटेड***[8] में सर्वोच्च न्यायालय की 03- पीठ न्यायाधीश द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति को दोहराना फायदेमंद है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अन्य विपरीत संकेत की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता खंड में उल्लिखित "स्थान" मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थल" के बराबर होगा। इस संबंध में निर्णय के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दिया जा सकता हैः

"61. *इस प्रकार यह माना जाएगा कि जहां भी "स्थान" की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, और ''स्थल'' नामक कोई वैकल्पिक जगह का निर्धारण नहीं किया गया है, मध्यस्थता को नियंत्रित करने वाले नियमों का राष्ट्रोपरि निकाय होने के कारण, और कोई भी अन्यथा संकेत ना होने पर स्पष्ट निष्कर्ष यही होगा कि उक्त स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का न्यायिक स्थल है।*

* * * * *

"82. *उपरोक्त निर्णयों के संबंध में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब भी किसी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता के स्थान को मध्यस्थता कार्यवाही का "कार्यक्रम स्थल" के रूप में नामित किया जाता है, तो "मध्यस्थता कार्यवाही" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट कर देगी कि "स्थान" वास्तव में मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थल" है, क्योंकि उपरोक्त अभिव्यक्ति में केवल एक या अधिक व्यक्तिगत अथवा विशेष सुनवाई शामिल नहीं है, बल्कि उस स्थान पर निर्णय देने सहित समग्र रूप से मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है। इस भाषा की तुलना ऐसी भाषा से की जानी चाहिए जैसे कि "न्यायाधिकरणों को मिलने या गवाहों, विशेषज्ञों या पक्षों को रखने के लिए जहां केवल "कार्यक्रम स्थल" में सुनवाई होनी है, जिससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि अन्य चीजें समान हैं, कि इस तरह से कहा गया स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नहीं है, बल्कि केवल बैठक का एक सुविधाजनक स्थान है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मध्यस्थता कार्यवाही किसी विशेष स्थान पर "आयोजित की जाएगी" यह भी इंगित करेगा कि पक्षकार किसी विशेष स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही को रोकने का इरादा रखते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह स्थान मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान है। <u>इसके साथ-साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है कि कहा गया स्थान केवल एक "स्थान" है और मध्यस्थता कार्यवाही का "कार्यक्रम स्थल" नहीं है, तब निर्णायक रूप से पता चलेगा कि ऐसा खंड मध्यस्थता कार्यवाही के "स्थल" को निर्दिष्ट करता है।</u> एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, यदि नियमों का एक राष्ट्रोपरि निकाय मध्यस्थता को नियंत्रित करना है तो यह आगे एक संकेत होगा कि ऐसा कहा गया है कि "स्थल", मध्यस्थ कार्यवाही का स्थल होगा । <u>राष्ट्रीय संदर्भ में, इसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जो "निर्दिष्ट स्थान" पर लागू होता है, जो तब मध्यस्थता के उद्देश्यों के लिए "स्थल " बन जाता है।"</u>

(जोर दिया गया)

22. इसके अलावा, यह अदालत मनकास्तु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एयरविज़ुअल लिमिटेड के फैसले से भी निर्देशित होगी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'मध्यस्थता का स्थान' का मतलब यह नहीं है कि यह मध्यस्थता का 'स्थल' है; लेकिन पक्षों का इरादा "स्थल" का निर्धारण "समझौते के अन्य खंडों और पक्षों के आचरण से" किया जाना चाहिए।

> "20. *यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "मध्यस्थता का स्थल" और "मध्यस्थता का स्थान" का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है।* यह भी स्थापित किया गया है कि केवल अभिव्यक्ति "मध्यस्थता की जगह" पक्षकारों के इरादे को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है कि उन्होंने उस स्थान को मध्यस्थता के "स्थल" के रूप में अभिप्रेत किया है। *<u>"स्थल" के बारे में पक्षों का इरादा समझौते के अन्य खंडों और पक्षों के आचरण से निर्धारित किया जाना चाहिए।"</u>*
>
> (जोर दिया गया)

23. उपरोक्त उदाहरणों की पृष्ठभूमि में, यह देखा गया है कि रवि रंजन डेवलपर्स (पूर्वोक्त) में न्यायालय को पक्षों के इरादे को प्रदर्शित करने के लिए समझौते में कोई अन्य खंड नहीं मिला; न ही कोई विशेष क्षेत्राधिकार खंड था। रवि रंजन डेवलपर्स में मध्यस्थता खंड इस प्रकार है:

"37. कि इस विकास समझौते से उत्पन्न होने वाले और उससे संबंधित पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त <u>मध्यस्थों को विवादों या</u>

<u>मतभेदों</u> के संदर्भ द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा और ऐसा मध्यस्थता भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और <u>उक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण की बैठक कोलकाता में होगी।</u>"

(जोर दिया गया)

24. वास्तव में रवि रंजन डेवलपर्स (पूर्वोक्त) की स्थिति को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्वोक्त) के साथ-साथ सिक्का मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में अलग किया गया है, जहां यह देखा गया है कि रवि रंजन में डेवलपर्स (पूर्वोक्त) ने पाया कि धारा 11 के तहत याचिका कोलकाता में सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि उस मामले में प्रत्यर्थी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत मुज़फ़्फ़रपुर में जिला न्यायालय से संपर्क किया था और किसी भी मामले में उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करने से रोक दिया गया था। मध्यस्थता की जिस पर अन्यथा सहमति हो चुकी थी। इसके अलावा, उस मामले में समझौते में कोई 'विशेष क्षेत्राधिकार' खंड शामिल नहीं था जो विवादों पर कोलकाता को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के इरादे को पक्षों पर लागू करेगा।

25. साथ ही, प्रत्यर्थी का यह तर्क कि *बीजीएस एसजीएस सोमा (*पूर्वोक्त) केवल एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित है, पूरी तरह से

निराधार है, क्योंकि निर्णय में, विभिन्न बिंदुओं पर, विशेष रूप से और अलग से *अंतरराष्ट्रीय संदर्भ* और *राष्ट्रीय संदर्भ* को संदर्भित किया गया है।

26. सबसे महत्वपूर्ण रूप से *ऑस्टिन हुंडई ऑस्टिन डिस्ट्रीब्यूटर्स*(पूर्वोक्त) में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट, वर्तमान मामले में स्व-समान मध्यस्थता खंड की व्याख्या इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा की गई है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इस अदालत के पास याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

27. मामले में प्राप्त तथ्यात्मक विवरण के परिप्रेक्ष्य में, और 'बार' में की गई प्रस्तुति पर विचार करने के बाद, जैसा कि तय की गई कानूनी स्थिति के आलोक में मूल्यांकन किया गया है, इस अदालत की राय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

27.1. कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के साथ मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर विवाद नहीं करता है जैसा कि आपूर्ति समझौते के खंड 12 में निहित है।

27.2. खंड 12.3 निर्दिष्ट करता है कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए "कार्यक्रम स्थल" नई दिल्ली में होगा और खंड 12.2 आपूर्ति समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या दावों के संबंध में दिल्ली के न्यायालयों में अनन्य अधिकार क्षेत्र निहित करता है।

27.3. *रवि रंजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने स्वयं के तथ्यों पर आगे बढ़ा, विशेष रूप से, परिस्थिति यह है कि उस मामले में मध्यस्थता समझौता के समझौते के विषय वस्तु पर न्यायालयों के सामान्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी भी प्रावधान द्वारा पूरक नहीं था, जो वर्तमान मामले में मुकदमा नहीं है।

27.4. वर्तमान मामले में आपूर्ति समझौते के खंड 12.2 और 12.3 के संयुक्त अध्ययन पर, यह पाया गया है कि *सबसे पहले,* पक्षों ने समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को नई दिल्ली में न्यायालयों के *अनन्य अधिकार क्षेत्र* के अधीन किया था; और दूसरा, कि वे इस बात पर सहमत हुए थे कि *मध्यस्थता कार्यवाही* का स्थान नई दिल्ली होगा। यह पक्षकारों के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नई दिल्ली को *न केवल* कुछ सुनवाई (यानी कुछ सुनवाई का स्थान) के लिए स्थान के रूप में नामित किया गया था, बल्कि उस स्थान के रूप में भी नामित किया गया था जहां मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी तरह से आयोजित की जाएगी। जैसा कि *बीजीएस एसजीएस सोमा* (पूर्वोक्त) में देखा गया है, अभिव्यक्ति "मध्यस्थता कार्यवाही" के साथ "स्थान" के संदर्भ का उद्देश्य *मध्यस्थता कार्यवाही को नई दिल्ली में स्थापित* करना था, जिससे यह संकेत मिलता है कि मध्यस्थता कार्यवाही का "कार्यक्रम स्थल" नई दिल्ली में होगा ।

27.5. यह कि मध्यस्थता समझौते में यह सुझाव देने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण संकेत भी नहीं हैं कि निर्धारित "कार्यक्रम स्थल" केवल मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्यों के लिए बैठक का एक सुविधाजनक स्थान था, इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि पक्षों का इरादा यह था कि नई दिल्ली मध्यस्थता कार्यवाही का “स्थान" होगा।

27.6. जो इस संबंध में कोई संदेह बना रहे, तो उपरोक्त निष्कर्ष *ऑस्टिन हुंडई ऑस्टिन डिस्ट्रीब्यूटर्स (*पूर्वोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है, जहां बिल्कुल समान शब्दों वाले मध्यस्थता समझौते का अर्थ यह भी लगाया गया है कि मध्यस्थता का " कार्यक्रम स्थल" नई दिल्ली होगा।

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

29. चूँकि प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई एकमात्र वास्तविक आपत्ति वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इस अदालत के क्षेत्राधिकार के बारे में थी, जिसका निर्णय ऊपर दिया गया है,को याचिका की अनुमति दी जाती है।

30. तदनुसार, श्री नमित सूरी, अधिवक्ता (**सेलफोन सं.+919582410211) पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र विद्वान मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।**

31. विद्वान मध्यस्थ, मध्यस्थ कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकता है, जो पक्षों को आवश्यक प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के अधीन है, जैसा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 के तहत आवश्यक है; और यदि इस गणना पर नियुक्ति में कोई बाधा है, तो पक्षों को इस न्यायालय में उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

32. विद्वान मध्यस्थ ए एंड सी अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क का हकदार होगा; या जैसा कि पक्षकारों और विद्वान मध्यस्थ के बीच अन्यथा सहमति हो सकती है।

33. पक्ष मध्यस्थ के शुल्क और मध्यस्थता लागत को समान रूप से साझा करेंगे।

34. कानून के अनुसार विद्वान मध्यस्थ द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय लिये जाने के लिए दावों/प्रति-दावों के संबंध में पक्षों के सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखा जाता है।

35. पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस फैसले के जारी होने के 10 दिनों के भीतर नियुक्त विद्वान मध्यस्थ से संपर्क करें।

36. इस निर्णय की एक प्रति पंजीकरण द्वारा एकमात्र विद्वान मध्यस्थ को भेजी जानी चाहिए।

37. याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

38. अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों तो, उसका भी निपटारा कर दिया जाता है।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

18 जनवरी, 2024
एचएमजे/वी रावत/एके

(निर्णय तिथि: 14 फरवरी 2024)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*